Dextop/Monitring Sexction/acr

राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ.12( )APAR/ICDS/17/157141 जयपुर दिनांकः 11-10-17

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त उप निदेशक/परियोजना कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वार्षिक मुल्याकन प्रतिवेदन भरकर संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किये जाते है। वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन भरकर प्रस्तुत नहीं करने पर अधिकारियों/कर्मचारियों के पदौन्नती/चयनित वेतनमान/एसीपी संबंधित प्रकरण लम्बित पड़े रहते है।

साथ ही यदि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन भरकर प्रस्तुत कर दिये जाते है तो प्रतिवेदक अधिकारियों द्वारा उन्हे अपनी टिप्पणी करके, समीक्षक अधिकारी को नहीं भिजवायें जाते है। यदि प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा एसीआर में अपनी टिप्पणी उपरान्त समीक्षक अधिकारी को भिजवा दिये जाते है तो समीक्षक अधिकारी द्वारा लम्बे समय तक एसीआर को अपने पास लम्बित रखे रखते है जिससे अधिकारियों/कर्मचारियों के उक्त प्रकरण लम्बित पड़े रहते है। इस संबध में पूर्व में भी आपको परिपत्र क्रमांक 130335 दिनांक 1.9.17 के द्वारा लिखा गया था।

अतः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निदेर्शित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरान्त वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन समय पर भरकर संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि अधिकारियों/कर्मचारियों के पदौन्नति/चयनित वेतनमान/एसीपी संबंधित प्रकरणों का निस्तारण समय पर सम्भव हो सकें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ.12( )APAR/RAS/ICDS/1 157142-147 जयपुर दिनांकः 11-10-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
2. उप निदेशक (प्रशासन), समेकित बाल विकास सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाऐं ....
4. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी ....जिला ....
5. समस्त अधिकारिगण/कार्मिक को सूचनार्थ।
6. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड़ कराने हेतु।

प्रभारी अधिकारी (एसीआर)
उप निदेशक (वि.खा.का)
समेकित बाल विकास सेवाऐं